[illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

इजलास श्री दिनेश कुमार नन्डोरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या:– 43/2017 दिनांक:– 5/6/2017

[illegible]

रामलाल मुतबन्ना डालू जी जाति जणवा आयु 60 साल निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी

:: बनाम ::

1– शांताबाई पिता डालू जी जाति जणवा आयु वयस्क निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी हाल मु0 करजू तह0 छोटीसादडी

2– श्री राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार छोटीसादडी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट

:: निर्णय ::

उपस्थित वक्त बहस:– वकील श्री रामप्रसाद जणवा वादी की ओर से
प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट के तहत् न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा बम्बोरी के खाता संख्या 148 जिसके निम्न लिखित आराजीयात हैं:– आ0नं0 764, 765, 767, 772, 785, 773, 1344, 1345, 1346, 1356, 1397, 1584, 1585, 1405/2195, 1402 कुल कीता 15 कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर जिसकी लगानी 150.88 रूपये हैं। यह आराजी डालू पिता नन्दा जी के खातेदारी में चली आ रही हैं और डालू जी के मरने के बाद वसीयत के आधार पर वादी रामलाल पिता डालू जी ही उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा हैं। वादी ने आगे लिखा कि मूल पुरूष देवा जी थे। देवा जी के 4 लडके खेमराज , केरिंग, डालू और विरचंद हुये। खेमराज के 1 पुत्र भेरूलाल हुआ और केरींग जी के तीन पुत्र भूरालाल,गोपाल और वादी रामलाल हुये। डालू और वीरचंद के कोई जायन्दा पुत्र नहीं थे, वीरचंद ला औलाद ही फौत हो गये और वीरचंद के फौत होने के बांद डालू जी भी देवा जी के दूर के रिश्ते में भाई नन्दा जी लगते थे उनके गोद चले गये। नन्दा जी के पिताजी मोतीजी थे जो देवा जी के दूर के रिश्ते में भाई लगते थे। इस प्रकार देवा जी का लडका डालू पिता नन्दा के गोद चला गया जिसको गोद नन्दा की पत्नि नन्दू ने रखा था और गोद जाने के बाद डालू जी के भी कोई नर संतति नहीं थी इस कारण अपने भाई केरिंग जी के लडके रामलाल को जाति बिरादरी के सामने लहरिया बंधवाया और गोद रखा तथा अपने जीवनकाल में ही अपने गोदी पुत्र वादी रामलाल के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10–02–1999 को लिख दी तभी से वादी रामलाल उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं।

वादी ने अपने वाद पत्र में आगे लिखा कि प्रतिवादिया अपने ससूराल करजू में ही अपने पति के साथ रह रही हैं और अपने पति के साथ खेती कर रही हैं। मात्र प्रतिवादिया डालू की जायन्दा पुत्री होने का नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व

अभिलेखों में अपना नाम अमल दरामद करा लिया हैं जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत महिलाओं को 2005 से पूर्व अपने पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं था जबकि डालू जी की मृत्यु 2001–02 में हो गयी थी इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादिया को कोई खातेदारी अधिकार मिलते हैं और ना ही विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकार मिलते हैं। डालू जी ने उपरोक्त सम्पत्ति 2005 से पूर्व ही वसीयत कर दी थी इस कारण वादिया का इस वादग्रस्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं। वादी ने आगे लिखा कि वादिया को केई बार अपना नाम हटाकर मेरा नाम दर्ज कराने की कहा तो प्रतिवादिया टालमटूल करती रही इस कारण यह दावा प्रतिवादिया के खिलाफ घोषणा का प्रतिवादिया के विरूद्ध पेश करना पड रहा हैं।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया परन्तु प्रतिवादिया ने सम्मन नोटिस लेने से इंकार किया और तामिल कुनिंदा ने 2 गवाह झमकलाल एवं रामचंद्र के हस्ताक्षर कर बाद तामिल पुनः न्यायालय को लौटा दी। और इस प्रकार न्यायालय ने दिनांक 30–05–2017 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई। न्यायालय आपके द्वार शिविर में वादी के बयान लिये गये। वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नकल रजि0 गोदनामा डालू जी का प्रदर्श 2, और नकल वसीयत नामा प्रदर्श 3 पेश किये। एवं मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं एवं गवाह मुकेश का शपथ पत्र पेश किया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का भी गहनता से अध्ययन किया गया। उपलब्ध साक्ष्य जिसमें डालू जी ने दिनांक 10–02–1999 को वादी रामलाल के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित कर रखा था जिसका भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि वादी रामलाल को डालू जी ने गोद लिया था। तथा डालू जी ने अपनी पुत्री बावत् वसीयत नामा में लिखा कि उनकी पुत्री शांताबाई जिसकी शादी करजू कराई हैं वह उनकी सेवा चाकरी नहीं करती हैं परन्तु उनसे वह नाखुश नहीं हैं क्योंकि समय नहीं मिलने के कारण वह उनकी सेवा चाकरी नहीं कर पा रही हैं और इसी कारण मैं रामलाल को उपरोक्त सम्पत्ति वसीयत करता हूॅ। मैनें अपनी पुत्री को शादी के समय जो भी सम्पत्ति देनी थी दे चुका हूँ। इस प्रकार डालू जी ने उपरोक्त सम्पत्ति वादी रामलाल को वसीयत कर दी थी और उसी वसीयत की रूह से वादी रामलाल उपरौक्त सम्पत्ति का मेरी विधिसम्मत राय में खातेदार काश्तकार हो चुका हैं। और प्रतिवादिया जो डालू जी की जायन्दा पुत्री हैं परन्तु पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को हक अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन होने के बाद 2005 के बाद मिलने लगे हैं जबकि डालू जी ने उपरोक्त वादग्रस्त सम्पत्ति की वसीयत 2005 से पूर्व ही वादी रामलाल के पक्ष में कर दी थी। इस कारण मेरी विधि सम्मत राय में डालू जी की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण वादी का दावा स्वीकार किया जाना मेरी विधि सम्मत राय में उचित प्रतीत होता हे।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादिया को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादग्रस्त सम्पत्ति से वादी को जबरन बेदखल

कि मौजा बम्बोरी के खाता संख्या 148 जिसके निम्न लिखित आराजीयात हैं:– आ0नं0 764, 765, 767, 772, 785, 773, 1344, 1345, 1346, 1356, 1397, 1584, 1585, 1405/2195, 1402 कुल कीता 15 कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर जो वर्तमान में प्रतिवादिया की खातेदारी में हैं उसमें प्रतिवादिया का नाम हटाया जाकर वादी रामलाल का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

निर्णय आज दिनांक 05–06–2017 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी राज0